



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र
कुलसचिव
Dr. Rajendra Prasad Mishra
Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : 008/2015-16/ना.अ.गु/136/
दिनांक : 27 मई, 2016

कार्यालयादेश

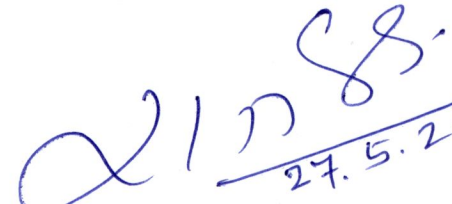
विश्वविद्यालय के नागार्जुन सराय अतिथि गृह का नाम तत्काल प्रभाव से नागार्जुन अतिथि गृह किया जाता है।

फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के कक्ष सं.-1 से 14 तक (विदेशी विद्यार्थियों को आबंटन करने के उपरांत रिक्त होने की स्थिति में) विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों एवं उनके परिजनों तथा विद्यार्थियों/शोधार्थियों के अभिभावकों को निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

नागार्जुन अतिथि गृह तथा फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास में आवासीय व्यवस्था हेतु पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को एतद्वारा निरस्त करते हुए संलग्न नियमों एवं दरों को लागू किया जाता है।

यह आदेश 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।


27.5.2016
(राजेंद्र प्रसाद मिश्र)

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

- 1) कुलपति कार्यालय
- 2) प्रतिकुलपति कार्यालय
- 3) कुलसचिव कार्यालय
- 4) वित्त विभाग
- 5) अतिथि गृह प्रबंधन समिति के समस्त सदस्यगण
- 6) कुलानुशासक
- 7) छात्रावास अधीक्षक, फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास
- 8) केयरटेकर, नागार्जुन अतिथि गृह
- 9) केयरटेकर, फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास
- 10) समस्त अतिथि गृह/छात्रावास के सूचना-पट्ट
- 11) लीला प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 12) कार्यालय प्रति।